5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

20रु. कोर्ट फीस Rs.20 COURT FEE भारत INDIA सत्यमेव जयते बीस रुपये TWENTY RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

65

समक्ष मुख्य राजस्व नियत्रंक प्राधिकारी (राजस्व मण्डल) म.प्र.ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2018 पुनरीक्षण

निगरानी-6175/2018/सीहोर/स्टांप अधि

राजेन्द्र सोनी पुत्र स्व.पन्नालाल सोनी

निवासी–भोपाल रोड़, मातृछाया भवन

नसरूल्लागंज, हाल निवासी–मिलन मैरिज गार्डन

के पास, नसरूल्लागंज जिला–सीहोर म.प्र.

विरूद्व

1. मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प/जिला पंजीयक, जिला–सीहोर म.प्र.
2. सुरेश कुमार सोनी पुत्र स्व.पन्नाालाल सोनी निवासी–भोपाल रोड़, मातृछाया भवन नसरूल्लागंज जिला–सीहोर म.प्र.

श्री मुकेश बजाज को 25-10-18 द्वारा आज ... प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12-11-18 नियत।

25-10-18

Belapurkar 25-10-2018

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं जिला पंजीयक, जिला–सीहोर द्वारा प्रकरण क्रमांक 103/बी–103/धारा–33/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 07/04/2017 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–56 भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899.

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-6175/2018/सीहोर/S7

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-05-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री एस0के0वाजपेयी व श्री मुकेश वेलापुरकर अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । उभयपक्ष को सुना गया । शासकीय अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि मध्यप्रदेश स्टाम्प अधिनियम में दिनांक 23-10-2017 को संशोधन हुआ है उसके उपरांत धारा 33 में परिबद्ध लिखित के संबंध में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के द्वारा धारा 40 के अन्तर्गत ही कार्यवाही की जाती है जिसमें पृथक से अपील का प्रावधान है इस प्रकरण में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-2-2018, जो अधिनियम में संशोधन के बाद का है इसलिये अपर आयुक्त को अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं बताते हुये अपील समाप्त की है । अधिनियम के संशोधित प्रावधान को देखते हुये शासकीय अधिवक्ता का उक्त तर्क स्वीकार योग्य है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील योग्य आदेश है । अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 12-2-2018 निरस्त किया जाता है । आवेदक को इन निर्देशों के साथ यह निगरानी समाप्त की जाती है कि सक्षम अधिकारी अपील की सुनवाई करें । अध्यक्ष	